संख्या-65/2023/1778/77-3-23-90एम/21

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 11 अक्टूबर, 2023

विषयः-उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का पी.पी.पी. मोड के अंतर्गत क्रियान्वयन:भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्यों से संबन्धित जी.एस.टी. की दरों में अभिवृद्धि किए जाने के फलस्वरूप परियोजना के ग्रुप-i, ii, iii एवं iV के कन्सेशनेयरों को यूपीडा द्वारा देय धनराशि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2601/2906/यूपीडा (तक0) दिनांक 20.07.2023 एवं पत्र संख्या-4025/2316/यूपीडा/23/तक0 दिनांक 20.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये है-

(I). गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के चार ग्रुपों के पी. पी. पी. मोड में निर्माण के संबंध में तीस वर्ष की कन्सेशन अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. की पूर्व में प्रचलित दर 12 प्रतिशत को दिनांक 18 जुलाई 2022 से प्रभावी 18 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने के कारण निर्माण अवधि में होने वाले व्यय तथा निर्माण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शेष कन्सेशन अवधि में संचालन गतिविधियों के संबंध में होने वाले व्यय, दोनों के परिप्रेक्ष्य में, कन्सेशन एग्रीमेंट के "आर्टिकिल 41: चेंज इन लॉ" के अंतर्गत कन्सेशनेयरों को तीस वर्ष की कन्सेशन अवधि (जिसमें 03 वर्ष की निर्माण अवधि सम्मिलित है) के दौरान कन्सेशनेयरों को होने वाले अतिरिक्त आर्थिक भार का भुगतान यूपीडा द्वारा यथासमय वार्षिक आधार पर किए जाने हेतु शासन द्वारा यूपीडा के पक्ष में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(II). उपरोक्त भुगतान के संबंध में यूपीडा के अपने और कोई आय के स्रोत न होने के कारण इस हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने के लिए यूपीडा को शासन से वार्षिक बजट के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(III). वित्तीय वर्ष 2022-23 के संदर्भ में दिनांक 18 जुलाई 2022 से प्रभावी जी.एस.टी. की दर में परिवर्तन के फलस्वरूप कन्सेशनेयरों के अतिरिक्त वित्तीय प्रभार के दावों का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर यूपीडा द्वारा किया जाएगा जिसके लिए यूपीडा के अनुरोध पर शासकीय बजट में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधान किया जाएगा।

(IV). आगामी वित्तीय वर्षों में विषयांतर्गत देय राशि की वास्तविक स्थिति का आंकलन यूपीडा को कन्सेशनेयरों की ओर से संबन्धित 'एकाउंटिंग वर्ष' में ही प्राप्त हो सकेगा, अतः इस हेतु कन्सेशन की शेष अवधि के लिए वार्षिक आधार पर बजट प्रावधान यूपीडा द्वारा बजट की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत शासन से प्राप्त किया जाएगा।

(V). उपरोक्तानुसार 30 वर्ष की सम्पूर्ण कन्सेशन अवधि हेतु वार्षिक आधार पर किए जाने वाले वार्षिक बजट प्रावधान का आहरण यूपीडा द्वारा शासन से त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा ताकि तत्संबंधित भुगतान कन्सेशनेयरों को त्रैमासिक आधार पर ससमय किया जा सके।

3. उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि 'प्रश्नगत परियोजना के संबंध में यूपीडा की कोई आय होती है तो उनके द्वारा किये जाने वाले भुगतान के दृष्टिगत शॉर्टफाल की स्थिति उत्पन्न होने पर शॉर्टफाल की समतुल्य राशि को उक्तानुसार उपलब्ध कन्सेशन पीरियड हेतु शासन द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

4. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कन्सेशनेयर द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए क्लेम से संबन्धित Tax Invoice दिनांक 18 जुलाई 2022 या उसके बाद की तिथि में raise किए गए हों तथा साथ ही Change in Law : Article – 41 के लागू होने के फलस्वरूप कन्सेशनेयर के Rights एवं Obligation में परिवर्तन नहीं होगा। इस संबंध में यूपीडा द्वारा कन्सेशनेयरों को जारी किए जाने वाले पत्र में इन बिन्दुओं का उल्लेख कर दिया जाए।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0।

(2)निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0।

(3)निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

(4)वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।

(5)वित्त (आय-व्ययक) 4

(6) वित्त नियंत्रक यूपीडा।

(7) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

(8)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।